उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/2360 /   जबलपुर, दिनांक 28/03/2023

श्रीमती स्वाती जोशी, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इन्दौर को "महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय कटनी म.प्र. द्वारा आयोजित कोर्स Professional Certificate in Modern Office Management (Hindi Typing) एवं महर्षि योगी विश्वविद्यालय, क्षेत्रिय कार्यालय, इन्दौर से Computer Diploma Application (DCA) नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश लेने तथा अध्ययन करने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में अध्ययन नहीं करेंगे, शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

(हस्ताक्षर) 28-3-2023

(रामकुमार चौबे)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/2361/   जबलपुर, दिनांक 28/03/2023

प्रतिलिपि :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर, की ओर उनके स्थापना के ज्ञापन क्रमांक प्रशा./167–ए(भाग)/525 इंदौर, दिनांक 20.02.2023 के संदर्भ में,
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.)/कम–पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. एडमिनीस्ट्रेटिव ऑफिसर(जुडिशियल) स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

4. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. श्रीमती स्वाती जोशी, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

27/3/23

(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)